मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 11/04/2022

क्रमांक 748 /2383/2021/सत्रह/मेडि–1/:– कार्यालय विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 4552/अप.क 63/20/विपुस्था/2020 भोपाल दिनांक 18.08.2021 द्वारा अपराध कमांक –63/2020 विरूद्ध श्री सुनील कुमार नेमा, सहायम ग्रेड–3 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–नरसिंहपुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7(क), 13(1) बी, 13(2) के अतंर्गत दण्डनीय अपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित करने के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत म.प्र. शासन की अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।

2/ अभिलेखो के अनंसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है – आरोपी श्री सुनील कुमार नेमा, सहायक ग्रेड–3 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नरसिंहपुर द्वारा आवेदक श्री राकेश वर्मा से समयमान वेतनमान लगाने के एवज में दो हजार रूपये की मांग की गई। रिश्वती मांग वार्ता की रिकोडिंग के दौरान एक हजार पांच सौ रूपये रिश्वत प्राप्त करने लिये तैयार हो गया। श्री नेमा को दिनांक 18.03.2020 को एक हजार पांच सौ रूपये रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकडा गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर लोक सेवक पद पर रहते हुए रिश्वत की मांग की एवं रिश्वत की राशि प्रति ग्रहण किया गया। आरोपी द्वारा अपराधिक कृत्य कर वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध राशि रिश्वत के रूप में लेने हेतु रिश्वत की मांग करना एवं उसका प्रतिग्रहण अनुसंधान में संकलित साक्ष्य से स्थापित होता हैं। आरोपी का यह कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है जो विवेचना में प्रमाणित पाया गया है।

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखीय, परिस्थितिजन्य एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी श्री सुनील कुमार नेमा, सहायक ग्रेड–3, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–नरसिंहपुर के विरूद्ध धारा 7(क), 13(1) बी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

3/– संचालनालय स्तर पर अभियोजन स्वीकृति से संबंधित प्राप्त होने वाले समस्त प्रकरण पर विचार करने हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10.02.2022 में प्रकरण को अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

4/– तद्नुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के परिपत्र क्रमांक एफ 15–1/2014/1–10, दिनांक 05.09.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए श्री सुनील कुमार नेमा, सहायक ग्रेड–3, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–नरसिंहपुर आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7(क), 13(1)बी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अवपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) बी.सी.के अंतर्गत अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार

पृष्ठांकन कमांक/749/2383/2021/सत्रह/मेडि–1/ भोपाल दिनांक 11/04/2022

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, म.प्र.।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (1)विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल की ओर पत्र कमांक 4552/अप.क 63/20/विपुस्था/2020 भोपाल दिनांक 18.08.2021 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
7. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
8. अपर संचालक (प्रशासन/शिकायत), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जिला–नरसिंहपुर, म0प्र0।
10. आदेश नस्ती।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग